स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

SAI

# कार्यस्थल/प्रशिक्षण क्षेत्र/छात्रावास/सार्वजनिक स्थलों में यौन उत्पीड़न

**भारत सरकार ने पूरे देश में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू कर दिया है। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक को यह जानना चाहिए कि यौन उत्पीड़न क्या है। सामान्यतः, निम्नलिखित कार्य "यौन उत्पीड़न" के अन्तर्गत आते है।**

- अवांछनीय तरीके से छुना;
- घूरना अथवा बुरी नजर से देखना;
- विचारोत्तेज्जक टिप्पणी या मजाक;
- यौन स्पष्ट चित्र अथवा पोस्टर;
- बाहर जाने के लिए अवांछित निमंत्रण;
- यौन सम्बन्ध के लिए अनुरोध;
- किसी व्यक्ति के निजी जीवन अथवा शरीर के बारे में दखल देने वाले प्रश्न;
- किसी व्यक्ति पर जानबूझकर अनावश्यक परिचित होना दर्शाना;
- लिंग पर आधारित अपमान अथवा ताने;
- यौन स्पष्ट शारीरिक सम्पर्क; और
- यौन स्पष्ट ई–मेल अथवा एसएमएस पाठ संदेश;

**उपरोक्त के अलावा यौन उत्पीड़न के मुख्य घटक नीचे दर्शाए गए हैः–**

- वास्तविक बलात्कार अथवा बलात्कार की कोशिश करना या यौन उत्पीड़न;
- यौन सम्बन्ध के लिए अवांछित दबाव;
- अवांछित रूप से जानबूझकर छुना, झुकना, धक्का मारना, चूँटी मारना;
- बाहर जाने के लिए अवांछित दबाव डालना;
- अवांछित ढंग से छेड़ना, टिप्पणी करना अथवा सवाल करना;
- किसी महिला को हक, डॉल, बेब अथवा हनी के रूप में सम्बोधित करना;
- किसी पर सीटी बजाना, तंग करना;
- यौन अभद्र टिप्पणी अथवा कहानियाँ;
- यौन कल्पनाओं, प्राथमिकताओं अथवा इतिहास के बारे में पूछना;
- सामाजिक अथवा यौन जीवन के बारे में व्यक्तिगत सवाल;
- किसी महिला के कपड़ों, शारीरिक बनावट अथवा रूप के बारे में यौन टिप्पणी;
- किसी महिला के निजी यौन जीवन के बारे में झूठ बोलने और अफवाहें फैलाना;
- गर्दन की मालिश;
- किसी महिला कर्मचारी के कपड़े, बाल या शरीर को छूना;
- निजी उपहार देना;
- किसी महिला के नजदीक खड़ा होना;
- गले लगाना, चुम्बन करना, थपथपाना और स्ट्रोकिंग करना;
- किसी महिला को ऊपर से नीचे देखना; (घूरती आँखों से)
- यौन विचारोत्तेजक संकेत;
- चेहरे का भाव, आँख मारना, चुम्बन फेकना, अथवा होठो को चाटना;
- हाथों से शरीर की गतिविधियों से यौन इशारे करना;
- किसी महिला के शरीर पर यौन टिप्पणी करना;
- यौन अभद्र टिप्पणी अथवा कहानिया;
- यौन विषयों पर चर्चा करना;
- यौन सम्बन्धी चुटकुले अथवा कहानियाँ सुनाना;
- चुम्बक करने की आवाज निकालना, गलत तरीके से बोलना और स्मैकिंग लिप्स;
- किसी महिला से बार–बार पूछना, जो बात करने के लिए इच्छुक न हो;
- किसी महिला को घूरना;
- किसी महिला का रास्ता रोकना;
- किसी महिला का पीछा करना;
- यौन विचारोत्तेजक दृश्य दिखाना;
- गले अथवा कंधों में मालिश करना;
- किसी महिला के करीब खड़े होना अथवा छेड़ना;

इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी को उपरोक्त कियाकलापों से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि वे उपरोक्त किसी भी गैर–कानूनी कियाकलापों में लिप्त न हों। मध्य क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल परिसर (प्रशिक्षण क्षेत्र/छात्रवास/कार्यस्थल आदि) में इस नियम का किसी भी प्रकार का उल्लंघन **अधोहस्ताक्षरी** को तत्काल सूचित किया जायेगा।

04/11/2020

मंजुश्री दयानंद, **क्षेत्रीय निदेशिका, प्रभारी,**
दूरभाष न0 0755: 2970818, 2686830
इे–मेल :rdsaibho-mp@gov.in